

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2026

जनपद-आजमगढ़

01. थाना : महाराजगंज, जनपद आजमगढ़

• घर में घुसकर मारपीट एवं गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, महाराजगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई

• एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में थानाध्यक्ष महाराजगंज श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में थाना महाराजगंज पुलिस ने मारपीट एवं गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

पूर्व की घटना

दिनांक 12.07.2026 को वादी चन्द्रप्रसाद यादव पुत्र रामलाल यादव, निवासी ग्राम देवारा जदीद (सतई का पुरा), थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महाराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षीगण 1. चन्द्रभान यादव, 2. चन्द्रशेखर, 3. इन्द्रेश यादव, 4. वन्दना एवं 5. गिरजा देवी ने एकराय होकर वादी के घर में घुसकर उसके पुत्र प्रेमचन्द्र यादव, पुत्री अंशिका तथा पत्नी सुशीला देवी के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से हमला किया। घटना में वादी की पत्नी एवं पुत्री बेहोश हो गईं तथा पुत्र एवं पत्नी के हाथ में गंभीर चोट (फ्रैक्चर) आई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0 168/2026, धारा 3(5), 109(1), 110, 115(2), 117(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस बनाम पांच नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2026 को थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह एवं आरक्षी मातेश्वरी प्रसाद द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर इंडेन गैस एजेंसी, देवारा जदीद (सतई का पुरा) के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त इन्द्रेश यादव को समय 11:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

इन्द्रेश यादव पुत्र चन्द्रभान यादव, निवासी ग्राम देवारा जदीद (सतई का पुरा), थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।
उम्र लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 168/2026, धारा- 3(5), 109(1), 110, 115(2), 117(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस, थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष जयप्रकाश, उ0नि0 पवन कुमार सिंह, रि0का0 मातेश्वरी प्रसाद थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान निरंतर जारी है तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

02. थाना : कोतवाली, जनपद आजमगढ़

₹25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से हुई पूछताछ के आधार पर मिली बड़ी सफलता

ग्रहदोष दूर करने एवं धर्म-कर्म का झांसा देकर महिलाओं से आभूषण उगाने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के शिकंजे में, दो ठगी की घटनाओं का सफल अनावरण

कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद दूसरे इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी से 02 घटनाओं का हुआ खुलासा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने ₹25,000 के पुरस्कार घोषित अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त सामग्री एवं नकदी बरामद करते हुए उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.02.2026 को वादिनी आशा पत्नी रामप्रवेश, निवासी ग्राम छतौरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ (हाल पता काली चौरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़) द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी गई कि शंकर तिराहा, सिधारी स्थित ग्रैंड एसआर होटल के समीप दो अज्ञात व्यक्तियों ने परिवार पर ग्रहदोष एवं अशुभ प्रभाव का भय दिखाकर उन्हें विश्वास में लिया तथा ग्रहदोष दूर करने के बहाने उनकी सोने की चेन, अंगूठी एवं ₹2,000 नकद लेकर फरार हो गए। इस संबंध में *थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 41/2026, धारा 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गिरोह के एक सदस्य लईक उर्फ लकी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि शेष अभियुक्तों की तलाश जारी थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

इसी क्रम में दिनांक 13.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम एवं मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ रोडवेज प्राइवेट बस अड्डा पहुंचे, जहां मुकदमा उपरोक्त से संबंधित ₹25,000 के इनामी अभियुक्त हुसैन पुत्र नजरुद्दीन नि0 ठण्डा नाला गूलर भोज थाना गदरपुर जनपद उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 45 वर्ष को समय

करीब 10:40 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ₹400 नकद, आभूषण साफ करने वाले केमिकल से भरी एक प्लास्टिक की शीशी तथा 10 विभिन्न रंगों के नग (पत्थर) बरामद किए गए। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हुसैन पुत्र नजरुद्दीन नि0 ठण्डा नाला गूलर भोज थाना गदरपुर जनपद उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

₹400 नगद

आभूषण साफ करने वाले केमिकल से भरी 01 प्लास्टिक की शीशी

10 अदद विभिन्न रंगों के नग (पत्थर)

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों सैफ अली खाँ, इमरान एवं लईक उर्फ लकी के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह संचालित करता है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में घूमकर विशेष रूप से अधेड़ एवं वृद्ध महिलाओं को धर्म-कर्म, ग्रहदोष एवं पूजा-पाठ का भय दिखाकर विश्वास में लेते थे तथा उनके सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी छलपूर्वक लेकर फरार हो जाते थे। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 06 एवं 07 फरवरी 2026 को गिरोह के चारों सदस्य आजमगढ़ आए थे। 06 फरवरी को बेलइसा सब्जी मंडी क्षेत्र तथा 07 फरवरी को लाइफ लाइन हॉस्पिटल के समीप दो महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ठगी के बाद आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली। अभियुक्त के हिस्से में लगभग ₹35,000 आए थे, जिनमें से अधिकांश खर्च हो चुके हैं तथा शेष ₹400 उसकी तलाशी में बरामद हुए।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 41/2026, धारा 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 27/2026, धारा- 318(4), 319(2) बीएनएस, थाना- रानी की सराय, जनपद- आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 41/2026, धारा- 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस, थाना- कोतवाली, जनपद- आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 32/2023, धारा- 406, 411, 420 भा.दं.सं., थाना- पिपरी, जनपद- सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0- 85/2023, धारा- 406, 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी भा.दं.सं., थाना- रॉबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0- 191/2023, धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना- रॉबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय

उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज

रि0 कां0 सचिन कुमार मिश्रा

रि0 कां0 मनीष सिंह

रि0 म0 कां0 प्रियंका सिंह

हे0 कां0 अभय कुमार सिंह
कां0 अंशुमान सिंह
कां0 आदित्य कुमार

03. थाना : कोतवाली, जनपद आजमगढ़

कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ महाराष्ट्र के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर हाफिजपुर चौराहे के पास हुई कार्रवाई, शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस को अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.07.2026 को थाना कोतवाली पर तैनात उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार प्रजापति (चौकी प्रभारी बलरामपुर) अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लेकर हाफिजपुर चौराहे से बद्धोपुर जाने वाले मार्ग पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा रात्रि 11:20 बजे अभियुक्त अबू तालिब शेख पुत्र अफाक अहमद शेख, निवासी संजय गांधी नगर, जमशेद जी. जी. भाय रोड, नार्थ सेंट्रल रेलवे कम्पाउंड, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र उम्र लगभग 35 वर्ष को नियमानुसार हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 374/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अबू तालिब शेख पुत्र अफाक अहमद शेख, निवासी संजय गांधी नगर, जमशेद जी. जी. भाय रोड, नार्थ सेंट्रल रेलवे कम्पाउंड, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र उम्र लगभग 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा (.315 बोर)

01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 374/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 13/2025, धारा 331(2), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र।

2. मु0अ0सं0 119/2026, धारा 352, 74, 79 बीएनएस, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर

उ0नि0 उदयशंकर तिवारी

कांस्टेबल सुमित कुमार

कांस्टेबल भूपेन्द्र मिश्रा

कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार

कांस्टेबल पंकज शर्मा

कांस्टेबल भवरनाथ

कांस्टेबल सचिन मिश्रा

04. ऑपरेशन वज्रपात

थाना : निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर थाना निजामाबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई

• थाना परिसर के सामने फोटो खींचकर आपत्तिजनक संगीत के साथ पोस्ट कर पुलिस की छवि धूमिल करने एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास, दो युवकों का बीएनएसएस की धाराओं में चालान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सतत निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर पुलिस की छवि धूमिल करने तथा आमजनमानस की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

घटना का विवरण

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान थाना निजामाबाद पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ युवकों द्वारा थाना निजामाबाद परिसर के सामने फोटो खींचकर उसे इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ संगीत के साथ पोस्ट किया गया है। उक्त पोस्ट का उद्देश्य पुलिस की छवि धूमिल करना तथा आमजनमानस में भ्रम एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न करना प्रतीत हुआ, जिससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी।

जांच एवं पुलिस कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान संबंधित इंस्टाग्राम आईडी एवं उनके संचालकों की पहचान की गई। जांच में निम्नलिखित आईडी संचालित होना प्रकाश में आया—

• Instagram ID – "samajwadi_rohit_am_0818"

• Instagram ID – "mr_siddhu_4u"

उक्त आईडी संचालित करने वाले सिद्धान्त यादव (उम्र लगभग 22 वर्ष) एवं रोहित यादव (उम्र लगभग 24 वर्ष) पुत्रगण बाकेलाल यादव, निवासी ग्राम कुजियारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को चिन्हित किया गया। दोनों युवकों को थाना बुलाकर पूछताछ की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास किए जाने पर दोनों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया।

आजमगढ़ पुलिस की अपील

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं कानून के दायरे में रहकर करें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक, असत्य अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट, वीडियो, रील अथवा संदेश प्रसारित न करें। सोशल मीडिया पर की गई प्रत्येक गतिविधि पुलिस की निगरानी में है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

जनपद-मऊ

01. तेज गति से वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वाले 15 शोहदे/मनचले गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा यातायत को सुगम बनाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला की एण्टी रोमियो टीम व थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान तेज गति से वाहन चलाने व हुड़दंग मचाने वाले 15 शोहदे/मनचलों को हिरासत में लेकर नियमानुसार वाहनो का चालान करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी।

02. गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 16,000/-रुपये कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/07/2026 को थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित राकेश राजभर निवासी मीरपुर इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मोबाइल सैमसंग कीमत लगभग 16500/- रुपये की साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

03. थाना दक्षिणटोला साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 11190/- रुपये पीडित को वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष दक्षिणटोला के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित, इस्लामुद्दीन पुत्र एजाजुद्दीन निवासी डोमनपुरा जनपद मऊ की 11190 रुपये धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त

शिकायत के आधार पर थाना दक्षिणटोला में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 11190/- रुपये वापस कराया गया।

जनपद -बलिया

01.थाना बांसडीह जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद दाव (औजार/हथियार) को किया गया बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ के सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) श्री दिनेश कुमार शुक्ला महोदय के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना बांसडीह पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.07.2026 को वादी मुकदमा के तहरीर के आधार पर थानाहाजा मु0अ0सं0 206/26 धारा 109(1)/118(2)/115(2)/351(3)/3(5) बीएनएस बनाम अच्छेलाल बिन्द पुत्र रघुननाथ बिन्द व अजीत बिन्द पुत्र अच्छेलाल बिन्द निवासीगण ग्राम अनकटपुर (शिवरामपुर) थाना बाँसडीह जिला बलिया के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था ।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक-13.07.2026 को थाना बांसडीह के व0उ0नि0 अजय पाल मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अच्छेलाल बिन्द पुत्र रघुननाथ बिन्द व 2. अजीत बिन्द पुत्र अच्छेलाल बिन्द निवासीगण ग्राम अनकटपुर (शिवरामपुर) थाना बाँसडीह जिला बलिया को शिवरामपुर गांव से समय करीब 09.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त अच्छेलाल बिन्द के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दाव (औजार/हथियार) को बरामद किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 206/26 धारा 109(1)/118(2)/115(2)/351(3)/3(5) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अच्छेलाल बिन्द पुत्र रघुननाथ बिन्द निवासी ग्राम अनकटपुर (शिवरामपुर) थाना बाँसडीह जिला बलिया
2. अजीत बिन्द पुत्र अच्छेलाल बिन्द निवासी ग्राम अनकटपुर (शिवरामपुर) थाना बाँसडीह जिला बलिया

बरामदगी-

1. 01 अदद दाव (औजार/हथियार)